गंभीर प्रदूषण की सूची से बाहर होगा मध्यप्रदेश

भावना (अपराजिता) शुक्ला

पिछले कुछ सालों से दीपावली त्यौहार और प्रदूषण की खबरों का समानांतर रुप से छा जाना परंपरा बनता जा रहा है। बने भी क्यों ना? तापमान के गिरते ही वर्षों से राजधानी दिल्ली में जहरीला धुआं गहराता जा रहा है, अन्य राज्य भी किसी न किसी रुप में बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन का खामियाजा भुगत रहे हैं।

मनमौजी मानसून की ही तरह दूसरे मौसम भी ठंड हो या गर्मी, अपने-अपने क्रम चक्र को तोड़ कर मानो अनियंत्रित होती मानवीय महत्वकांक्षाओं को कह रहे हैं कि वास्तव में अनियंत्रित होना क्या होता है। नतीजन नई तरह के बुखार और सांस की बीमारी के मरीजों की संख्या शहरों और कस्बों में बढ़ती ही जा रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रदूषण पर रोक लगाने के तमाम उपायों, नियमों और उनके सख्ती से पालन करने के आदेशों निर्देशों के बावजूद भी सुधार के आसार नहीं है।

वजह साफ है - पर्यावरण सुधार के प्रयास किसी मौसम विशेष के मोहताज न होकर सतत रुप से चलने वाली प्रक्रिया है। जिसका उदाहरण मध्यप्रदेश में देखा जा सकता है। जहां औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। और कुछ इलाके गंभीर रुप से प्रदूषित की सूची में से बाहर होने जा रहे है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के मुताबिक, सीपीसीबी की व्यापक सूचकांक रिपोर्ट में राज्य के छह औद्योगिक क्षेत्रों में यह आंकडा 70 से नीचे आया है। फिलहाल सीबीपीसी से औपचारिक रुप से प्रमाण प्रत्र मिलने का इंतजार है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों के प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, सन् 2010 से संयुक्त रुप से देशव्यापी पर्यावरणीय मूल्यांकन कर व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की रिपोर्ट पेश करते है। जिसमें समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है। सन् 2010 में इस रिपोर्ट में देश भर में करीब 43 औद्योगिक क्षेत्र गंभीर रुप प्रदूषित पाए गए थे। जिसमें मध्यप्रदेश के इंदौर, पीथमपुर, मण्डीदीप, नागदा, देवास और ग्वालियर सहित प्रदेश के छः स्थान शामिल थे। जिनका सीईपीआई 70 प्वाइंट या उससे अधिक पाया गया था। लेकिन अब यह 70 से कम है। इन छः में से कुछ इलाकों में तो पर्यावरण सूचकांक सामान्य श्रेणी में पहुंच चुका है।

एमपीपीसी इस बात का श्रेय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के तहत कि गई सतत मॉनीटरिंग और जागरुकता अभियान को देते है। जिसके अंर्तगत 14 शहरों के औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में 36 मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए, औद्योगिक निस्त्राव के 22670 जल नमूनों की जांच के लक्ष्य को पिछले पांच साल में प्राप्त किया गया। साथ ही, उद्योगों के सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी प्रभावों के आकलन के लिए जरूरी डाटा जुटाए। जिससे की प्रदूषण रोकने के कारगार उपाय अपनाए जा सके। प्रदेश के इन इलाकों का इस सूची से बाहर आना यकीकन अच्छा संकेत है और खासकर ऐसे समय में जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को साफ लफ्जों में कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर आर्थिक विकास नही किया जा सकता । तीन महीनों के भीतर गंभीर और खतरनाक प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वालें उद्योगों/उपक्रमों को बंद किया जाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी तरह की इकाई को लगाने की अनुमति नही दी जाए।

ट्रिब्यूनल का यह कदम स्वागतायोग्य है लेकिन उस पर अन्य राज्यों के बोर्ड ने कितनी ईमानदारी से अमल किया यह तो आने वाले महीनों में ही पता चल पाएगा। क्योंकि आज भी ट्रिब्यूनल निर्देश देने वाली संस्था है आदेश वाली नही। जब तक जमीनी अमला इन आदेशों और निर्देशों का पालन नही करता वांछित परिणाम मुश्किल ही नही नामुमकिन है। औद्योगिक क्षेत्र में मिलने वाली सफलता से प्रसन्नचित हो मध्यप्रदेश की प्रदूषण नियंत्रक एजेंसियां शांत नही बैठ सकती। देश के अन्य राज्यों की तरह यहां के शहरों में भी वायु प्रदूषण को लेकर स्थिति चुनौतिपूर्ण है। देश के सबसे प्रदूषित दस शहरों की सूची में इस राज्य की राजधानी भोपाल भी शामिल है।

स्टेट ऑफ इंडियाज इनवॉयरमेंट 2019 रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ बड़े और मेट्रो शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहर-कस्बों में भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। छोटी उम्र के बच्चों पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक खतरा मंडरा रहा है। भारत में सालाना करीब 12.5 लाख मौतों का कारण वायु प्रदूषण बन चुका है। प्रत्येक 10 हजार में 8 से ज्यादा बच्चे ऐसे अभागे हैं जो वायु प्रदूषण के कारण पांच वर्ष की उम्र पूरा करने से पहले ही काल के गाल में समा जा रहे हैं। इसलिए एक पुरजोर कोशिश करना होगी दूषित वायु से उपजने वाले खतरे को मात देने की । कोर्ट ने जिस तरह की सख्ती पराली जलाने वाले मामले में किसानों से लेकर पंजाब, हरियाण और उत्तरप्रदेश की सरकारों पर दिखाई, मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जो

सकारात्मक परिणाम आए उससे अन्य राज्यों को भी सबक लेना चाहिए। हर तबके को हर स्तर पर ऐसे समस्त तौर तरीकों को बदलना होगा जो हमें और आपको स्वच्छ और स्वस्थ हवा में सांस लेने से रोकते है।

क्या है व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक

जिसकी आधार संख्या 100 है। इसमें वायु, जल और भूमि सहित पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के मानक लिए जाते है। जिन क्षेत्रों में सीईपीआई अंक 70 और उससे अधिक था, खतरनाक रूप से प्रदूषित औद्योगिक क्लस्टरों के रूप में चिन्हित किया गया जबकि 60 और 70 के बीच सीईपीआई अंक वाले औद्योगिक क्लस्टरों को गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं।माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।